PCS मंत्र

पीसीएस/यूपीएससी परीक्षा-उन्मुख समसामयिकी

भीमबांध अभयारण्य में ₹62.87 करोड़ का पर्यटन प्रोजेक्ट: निविदा, विवाद और कानूनी सवाल

समाचार-संदर्भ: 31 अक्टूबर 2026 (जांच-रिपोर्ट प्रकाशित; निविदा 16 अक्टूबर 2026 को जारी)
प्रकाशन: 31 अक्टूबर 2026
मुख्य परीक्षा: GS-III (पर्यावरण, संरक्षण): संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन-विकास; NBWL स्वीकृति; GS-II: हित-टकराव, नियामकीय पारदर्शिता
प्रिलिम्स: भीमबांध WLS (682 वर्ग किमी, खड़गपुर पहाड़ियाँ); BETDS निविदा 16 अक्टूबर 2026; NBWL (धारा 5-C); SC आदेश 8 फरवरी 2023



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन **बिहार ईको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी (BETDS)** ने **16 अक्टूबर 2026** को **भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य** के भीतर पर्यटन-सुविधाओं के विकास के लिए निविदा जारी की। निविदा-सूचीकरण और रिपोर्टों के अनुसार (निविदा सं. 07/ई-प्रोक/भीमबांध क्लस्टर-1/BETDS/2026-27) प्रस्ताव है — **भीमबांध-बेलाटांड-चोरमारा-भट्टाकोल क्लस्टर** में लगभग **62.87 करोड़ रुपये** के निवेश से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड पर एकीकृत ईको-टूरिज्म, वेलनेस और एडवेंचर डेस्टिनेशन; रियायत अवधि **60 वर्ष** और बोलियाँ **30 नवंबर 2026** तक खुली हैं।

PCSMANTRA.COM

द इंडियन एक्सप्रेस की जांच (31 अक्टूबर 2026) के अनुसार निविदा में अभयारण्य के भीतर **12.9 एकड़** भूमि पर **हेलीपैड, 104 कॉटेज, 12 ट्री-हाउस**, रेस्तरां-कैफे, स्पा, व्यूइंग डेक, दुकानें, बैंक्वेट सुविधाएँ और शादी-सम्मेलनों हेतु **ऑडिटोरियम** बनाने की योजना है; इमारतें दो-तीन मंजिला हो सकती हैं। यह कदम तब आया है जब अभयारण्य से होकर जाने वाले राजमार्ग-चौड़ीकरण के लिए वन विभाग और पथ निर्माण विभाग के बीच 26 सितंबर 2026 का समझौता-ज्ञापन (MoU) हित-टकराव की आपत्ति के बाद इसी माह रद्द किया गया।

भीमबांध अभयारण्य: पारिस्थितिकीय महत्व

बिहार के **खड़गपुर पहाड़ियों** में फैला भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य लगभग **682 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र में **मुंगेर, जामुई और लखीसराय** जिलों तक विस्तृत है। यह अपने प्राकृतिक **गर्म-पानी के झरनों** के लिए प्रसिद्ध है और **तेंदुआ, आलसी भालू (sloth bear), लकड़बग्घा, भेड़िया, बड़ी भारतीय सिवेट और बार्किंग डियर** समेत विविध वन्यजीवों का आवास है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित अभयारण्य होने के कारण यहाँ गतिविधियों पर कानूनी प्रतिबंध लागू होते हैं।

कानूनी प्रतिबंध और विवाद

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अभयारण्य-प्रयोजन हेतु आवश्यक कार्यों की अनुमति है, किंतु अभयारण्य के भीतर **वाणिज्यिक पर्यटक-लॉज, होटल या सफारी पार्क** के निर्माण के लिए **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)** की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। साथ ही **8 फरवरी 2023** को सर्वोच्च न्यायालय ने (इन री: टी.एन. गोदावरमन तिरुमुलपद बनाम भारत संघ) राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और बाघ रिजर्व के **कोर क्षेत्रों** में आगे के आदेश तक निर्माण पर रोक लगाई थी; बाद में उत्तराखंड के कुछ रखरखाव कार्यों की अनुमति दी, पर अनावश्यक निर्माण से सचेत किया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार निविदा में स्वयं **परस्पर-विरोधी प्रावधान** हैं: अनुच्छेद 4.1.2(b) पर्यावरण-संरक्षण संबंधी अनुमतियाँ लेने की जिम्मेदारी BETDS पर डालता है, जबकि अनुसूची-E निजी डेवलपर को अपनी लागत पर पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंजूरियाँ लेने को कहती है। BETDS के परियोजना निदेशक और मुख्य वन संरक्षक **नेसामणि के.** का कहना है कि परियोजना 6.3 एकड़ पर्यटन-विभाग की भूमि और 6.6 एकड़ अन्य सरकारी भूमि पर है, और जहाँ मंजूरियाँ नहीं चाहिए वहाँ निर्माण शुरू किया जा सकता है। रिपोर्ट का विश्लेषण है कि अधिसूचित अभयारण्य-सीमा के भीतर भूमि-स्वामित्व अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट नहीं दिलाता; अभयारण्य में मौजूदा अधिकार जारी रह सकते हैं, पर वे असीमित निर्माण-अधिकार नहीं देते।

आगे की राह

विकास और संरक्षण का संतुलन ही मार्ग है। प्रक्रिया के प्रमुख पड़ाव: NBWL और सक्षम प्राधिकरणों से अग्रिम मंजूरी; क्लस्टर के चारों पड़ावों (भीमबांध = आवास/आतिथ्य, बेलाटांड = साहसिक गतिविधियाँ, चोरमारा = योग ग्राम/वेलनेस, भट्टाकोल = सफारी/जलप्रपात) का पारिस्थितिकीय वहन-क्षमता-आधारित आकलन; और स्पष्ट जिम्मेदारी-विभाजन। विभाग की अपनी फरवरी 2026 की EOI भी "संरक्षण-केंद्रित, समुदाय-समावेशी" ईको-टूरिज्म की बात करती है और सभी गतिविधियों को वन एवं वन्यजीव मंजूरियों के अधीन मानती है। स्थानीय समुदायों को आजीविका से जोड़ना और पारदर्शी निगरानी परियोजना की स्वीकार्यता और टिकाऊपन दोनों तय करेंगे।

परीक्षा दृष्टिकोण

PCSMANTRA.COM

प्रिलिम्स-बिंदु: भीमबांध WLS = बिहार, खड़गपुर पहाड़ियाँ, ~682 वर्ग किमी, मुंगेर-जामुई-लखीसराय, गर्म-पानी के झरने; निविदा 16 अक्टूबर 2026, BETDS (वन विभाग के अधीन), ~62.87 करोड़ रु., PPP, 60-वर्षीय रियायत, बोली-अंतिम 30 नवंबर 2026; NBWL = वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5-C के तहत गठित, अध्यक्ष प्रधानमंत्री; SC आदेश 8 फरवरी 2023 (गोदावरमन वाद): कोर क्षेत्रों में निर्माण पर रोक।

मुख्य परीक्षा: GS-III (पर्यावरण, संरक्षण, बुनियादी ढाँचा): संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन-आधारित विकास; NBWL और वैधानिक स्वीकृति-प्रक्रिया; पर्यावरण-प्रभाव मूल्यांकन। GS-II (शासन): हित-टकराव (वन विभाग का MoU-रद्दीकरण प्रकरण), नियामकीय पारदर्शिता, निविदा-प्रावधानों में स्पष्टता।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. "संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन-आधारित विकास आर्थिक अवसर और पारिस्थितिकीय जोखिम दोनों लाता है।" भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य में प्रस्तावित ईको-टूरिज्म परियोजना के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। 10 अंक)

भूमिका में

16 अक्टूबर 2026 की BETDS निविदा (~62.87 करोड़ रु., 12.9 एकड़, अभयारण्य के भीतर) और 682 वर्ग किमी अभयारण्य का पारिस्थितिकीय महत्व उद्धृत कर प्रारंभ करें।

मुख्य भाग में

अवसर: क्षेत्रीय आजीविका, राजस्व, PPP से बुनियादी ढाँचा। जोखिम: NBWL की पूर्व-स्वीकृति की वैधानिक अनिवार्यता, SC का 8 फरवरी 2023 का आदेश (कोर क्षेत्रों में निर्माण-रोक), निविदा के परस्पर-विरोधी मंजूरी-प्रावधान, और हित-टकराव (रद्द हुआ राजमार्ग MoU) जैसे शासन-प्रश्न। भूमि-स्वामित्व बनाम कानूनी प्रतिबंध का अंतर स्पष्ट करें।

निष्कर्ष में

संरक्षण-केंद्रित, वहन-क्षमता-आधारित और पूर्व-मंजूरी-अनुरूप ईको-टूरिज्म ही टिकाऊ मार्ग है; समुदाय-भागीदारी और पारदर्शी निगरानी अनिवार्य।

PCSMANTRA.COM

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: यह बिहार के मुंगेर, जामुई और लखीसराय जिलों में फैला है।
कथन-II: यह अपने प्राकृतिक गर्म-पानी के झरनों के लिए जाना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

(b) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है

(c) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

(d) कथन-I और कथन-II दोनों सही नहीं हैं

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं। भीमबांध WLS (~682 वर्ग किमी) खड़गपुर पहाड़ियों में मुंगेर, जामुई और लखीसराय जिलों तक फैला है (कथन-I सही) और यह अपने प्राकृतिक गर्म-पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है (कथन-II सही)।

प्रश्न 2. BETDS की अक्टूबर 2026 की पर्यटन-निविदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड पर लगभग 62.87 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रस्तावित है।
2. विकास-रियायत की अवधि 30 वर्ष निर्धारित है।
3. क्लस्टर में भीमबांध, बेलाटांड, चोरमारा और भट्टाकोल स्थल शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) केवल 1 और 3। निविदा ~62.87 करोड़ रुपये के निवेश से PPP मोड की है (1 सही) और भीमबांध-बेलाटांड-चोरमारा-भट्टाकोल क्लस्टर को कवर करती है (3 सही)। रियायत अवधि 60 वर्ष है, 30 वर्ष नहीं (2 गलत)। बोलियाँ 30 नवंबर 2026 तक खुली हैं।

PCSMANTRA.COM

स्रोत

- द इंडियन एक्सप्रेस: राजमार्ग-योजना छोड़ने के बाद भीमबांध अभयारण्य में पर्यटन प्रोजेक्ट (31 अक्टूबर 2026)
- निविदा-सूचीकरण (एग्रीगेटर) 58079782: 07/ई-प्रोक/भीमबांध क्लस्टर-1/BETDS/2026-27 (16 अक्टूबर 2026; मूल निविदा-दस्तावेज eprocure2.bihar.gov.in पर)
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार: भीमबांध ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन हेतु EOI दस्तावेज (फरवरी 2026)
- सर्वोच्च न्यायालय का 8 फरवरी 2023 का आदेश (गोदावरमन वाद): संरक्षित क्षेत्रों के कोर में निर्माण पर रोक
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 - मूल पाठ (इंडिया कोड)

PCSMANTRA.COM